संख्या/No. जी.डी.-II/ लेखापरीक्षा-I/एफ-12011/सी.सी.टी.वी./2022-23/ D-433 to 457

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) राजस्थान
जनपथ, जयपुर - 302 005

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT-I) RAJASTHAN
Janpath, Jaipur- 302 005

दिनांक/Date 03/8/2022

निविदा आमंत्रण- पत्र

महालेखाकार भवन एवं ए.जी कॉलोनी में संस्थापित विभिन्न सी. सी.सी.टी.वी. सिक्योरिटी सिस्टम (सीसीटीवी कैमरे तथा सम्बंधित हार्डवेयर) के वार्षिक अनुरक्षण संविदा (AMC) (विवरण संलाग्नानुसार – परिशिष्ट ए) के लिये सभी निविदादाताओं से निम्नलिखित निविदा दस्तावेज़ों में मोहरबंद निविदाएँ आमंत्रित की जाती है:-

1. आवेदन पत्र: परिशिष्ट - बी
2. कार्यक्षेत्र (space of work): परिशिष्ट- सी
3. पूर्वअहर्ता शर्तें: परिशिष्ट- डी
4. नियम और शर्तें: परिशिष्ट – ई
5. सामान्य निर्देश: परिशिष्ट – एफ

निविदादाता को दरें/निविदायें बन्द लिफाफे में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को दिनांक 12.08.2022 तक अपरान्ह 03.00 बजे तक प्रस्तुत करनी होगी । उक्त दिनांक एवं समय के पश्चात् प्राप्त होने वाली निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा । प्राप्त निविदायें कमरा न. 109बी में दिनांक 12.08.2022 को अपरान्ह 03.00 बजे पश्चात् खोली जावेगी ।

निविदा प्रपत्र इस कार्यालय की वेबसाइट agaurajasthan1[at]cag[dot]gov[dot]in पर भी उपलब्ध है ।

संलग्न:- अनुलग्नक-'ए से एफ'

03/08/22

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
जी.डी.।।

टेलीफोन : 2385430-39, 2385131, 2385232
Telephone : 2385430-39, 2385131, 2385232
फैक्स : 0141-2385181
Fax : 0141-2385181
ई-मेल : agaurajasthan1@cag.gov.in
E-mail : agaurajasthan1@cag.gov.in

परिशिष्ट – ए

Sr. No.	ITEM NAME	QTY.	Make	Rate of AMC per Unit with parts (including all taxes)	Rate of AMC per Unit without parts (including all taxes)	Remarks
1.	CAMERA SPEED DOME IP	8	Panasonic			
2.	CAMERA 3MP IP	29	Panasonic/ CVGP			
3.	CAMERA 2MP	12	Panasonic/ Secura			
4.	CAMERA 4MP Dome	29	Panasonic			
5.	TFT/LED 42 "	03	Samsung			
6.	TFT/LED 20"	05	LG			
7.	TFT/LED 43 "	02	LG			
8.	6 TB HARD DISK	08	Segate			
9.	4 TB HARD DISK	05	Segate			
10.	1 TB HARD DISK	05	Segate			
11.	16+2 PORT NETWORK SWITCH	03	D-Link			
12.	8+1 PORT NETWORK SWITCH	18	D-Link			
13.	4+2 POE Switch	01	D-Link			
14.	8+2 PoE Switch	03	D-Link			
15.	12V POWER SUPPLY INSTRUMENT FOR CAMERAS	07	NA			
16.	DVR 4 CHANNEL	05	Panasonic			
17.	NVR 16 CHANNEL	05	Panasonic			
18.	NVR 08 CHANNEL	01	Panasonic			
19.	NVR 04 CHANNEL	01	Panansonic			
20.	3KVA UPS	01	BPE			
21.	600VA UPS	05	BPE			
22.	Wireless Mouse	03	-			
	TOTAL	**159**				

परिशिष्ट –बी

आवेदन पत्र

सेवा में,

महालेखाकार (लेप-I),
राजस्थान, जयपुर

विषय : महालेखाकार भवन एवं ए.जी. कालोनी में संस्थापित विभिन्न सी.सी.टी.वी. सिक्योरिटी सिस्टम (सीसीटीवी कैमरे तथा सम्बंधित हार्डवेयर) के लिए वार्षिक अनुरक्षण संविदा

संदर्भ: - 1. आपकी निविदा सूचना सं.............. दिनांक.............

2. अग्रिम धन जमा (EMD) -डीडी सं.............. दिनांक............. राशि रु. ....

मैंने/हमने अपनी निविदा अनुसूची एवं इसके अनुलाग्नों में वर्णित नियम एवं शर्तों को पढ लिया है तक उनका पालन करने के लिये सहमत हूँ/है।

मैंने/हमने उपकरणों के वांछित स्पेसिफिकेशन्स का अध्ययन कर लिया है तथा इन स्पेसिफिकेशन्स के अनुसार वांछित माल / उपकरण प्रदान करने एवं संधारित करने का प्रस्ताव करता हूँ/करते हैं।

मैं/हम सभी करों, शुल्को, परिवहन आदि सहित दरें पूर्ण रूप में उद्धरित करता हूँ/करते हैं।

(निविदादाता के हस्ताक्षर एवं मोहर)

परिशिष्ट- सी

कार्यक्षेत्र (Scope of Work)

1. मुख्य कार्यक्षेत्र महालेखाकार भवन एवं ए.जी. कॉलोनी में संस्थापित विभिन्न सी.सी.टी.वी. सिक्योरिटी सिस्टम तथा सम्बंधित हार्डवेयरका संधारण करना है। एएमसी में त्रुटिपूर्ण/ख़राब पार्ट्स की सामान प्रकृति अथवा उच्चतर स्पेसिफिकेशन के पार्ट्स से मरम्मत/प्रतिस्थापन शामिल है तथा प्रतिस्थापन विवरण प्राधिकृत अधिकारी को देना होगा। इन मामलों में आपातोपयोगी अनुप्रयोग (Standby) व्यवस्था भी अनिवार्य रूप से शामिल होगी।
2. ठेकेदार/ फर्म को सभी लोकेशन पर सी.सी.टी.वी. सर्विलेंस व्यवस्था की बाधारहित/निरंतर रिकोर्डिंग सुनिश्चित करनी होगी। इसमें समय-समय पर सर्विलेंस व्यवस्था की पर्याप्त कनेक्टिविटी की जांच शामिल होगी।
3. सभी हार्डवेयर की समुचित साफ-सफाई मैटीरियल एवं सहायक उपकरणों के द्वारा हफ्ते में तीन बार सफाई के लिये आवश्यक स्टाफ के पदस्थापन के लिये फर्म उत्तरदायी होगी। निवारक संधारण (Preventive maintenance) में उचित नेटवर्क के लिये तथा कनेक्टिविटी के सम्बंध में समस्या समाधान शामिल होगा। निवारक संधारण अभिलेख के लिये एक पृथक लाग बुक संधारित करनी होगी तथा हस्ताक्षरित की जायेगी।
4. उपकरणों की मरम्मत केवल महालेखाकार कार्यालय एवं ए.जी. कालोनी में ही करनी होगी। आकस्मिक परिस्थिति में इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारी की अनुमति से वर्कशाप पर ले जाये जाने पर परिवहन का खर्चा फर्म द्वारा वहन किया जायेगा तथा फर्म के रिस्क पर रहेगा।
5. सी.सी.टी.वी. सर्विलेंस व्यवस्था एवं उपकरणों को सम्पूर्ण संविदा अवधि में संतोषजनक बनाये रखने का उत्तरदायित्व फर्म का होगा तथा सभी सिस्टम संविदा समाप्ति पर कार्यशील अवस्था में विभाग को सौंपना होगा।
6. **ठेकेदार/फर्म को सी.सी.टी.वी. कैमरा से प्राप्त विडियो रिकार्डिंग को उचित कार्यशील अवस्था में बनाये रखना तथा डीवीडी/हार्डडिस्क में आवश्यक बैकअप रखना सुनिश्चित करना होगा तथा कार्यालयाध्यक्ष को सोंपना होगा, डीवीडी/हार्डडिस्क का प्रावधान निविदा के कार्यक्षेत्र का हिस्सा रहेगा**
7. ठेकेदार/फर्म को सभी स्टोरेज तथा उपकरणों को वाइरस मुक्त रखना सुनिश्चित करना होगा। खराब पार्ट कार्यालय को सौंपना होगा। डीवीडी (टाई डिस्क निर्माण सुनिश्चित करना होगा।

8. सर्विस इन्जीनियर / टेकनीशियन को सभी कार्य दिवसों पर कार्य करना अनुमत्य होगा। किसी सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर उत्पाद की प्रतिलिपि, किराये पर देना अथवा उधार देना पूर्णतया वर्जित रहेगा। एक्सेसरीज जैसे माऊस, रिमोट का संधारण मुफ्त में किया जायेगा।

9. सफल निविदादाता द्वारा रखरखाव कार्य से सी.सी.टी.वी. सिक्योरिटी सिस्टम को सप्ताह के सातों दिन और 24 घंटे प्रतिदिन कार्यशील रखना होगा | चुनी गई फर्म द्वारा प्रदान की जा रही सेवाएं सुधारात्मक और सुरक्षात्मक दोनों प्रकार की होगी |

10. फर्म का प्रतिनिधि सप्ताह में प्रत्येक कार्य दिवस पर कार्यालय में एवं ए.जी कालोनी उपस्थित होकर फाल्ट का समाधान करेगा । अवकाश के दिन कार्यालय से कॉल आने पर सेवाएं प्रदान करने होंगी |

11. वार्षिक अनुरक्षण संविदा (AMC) के दौरान, यदि कोई पार्ट बदला जाता है तो पुराना पार्ट इस कार्यालय में जमा करवाना होगा । पुराना पार्ट इस कार्यालय की सम्पति होगी न कि फर्म की ।

12. इस कार्यालय को यह पूर्ण अधिकार होगा कि वह वार्षिक अनुरक्षण संविदा (AMC) के दौरान किसी भी आईटम को हटा/शामिल कर सकते है ।

13. फर्म की सेवायें सन्तोषजनक नहीं पाये जाने पर कार्यालय को किसी भी समय अनुबन्ध निरस्त करने का अधिकार होगा ।

14. यदि इस अनुबन्ध की अवधि के दौरान कोई विरोधाभास होता है तो उस परिस्थिति में प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार महोदया का निर्णय अन्तिम होगा और संवेदक को मान्य होगा ।

15. प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार महोदया को यह अधिकार होगा कि वे किसी भी समय इस अनुबन्ध को बिना कोई कारण बताये 5 दिवस का नोटिस देकर समाप्त कर सकते हैं ।

16. कोविड-19 में दी गई सावधानियों व उनको पूर्ण करने के दायित्व के साथ संबंधित संवेदक सर्विस इंजीनियर्स को भेजेगा ।

परिशिष्ट- डी

पूर्व अहर्ता शर्तें:-

1. सेवा प्रदाता को पिछले पांच वर्षो मे सरकारी / निजी संस्थानों में किये गये कार्य का अनुभव आवश्यक है तथा अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा
2. सेवाप्रदाता का स्थापित सर्विस बेस जयपुर शहर में होना आवश्यक है।
3. प्रत्येक निविदा के साथ डिमाण्ड ड्राफ्ट/ बैंकर्स चैक जो PAO, IA&AD, Jaipur के पक्ष में निष्पादित हो, के रूप में राशि रु 5,000/- की धरोहर राशि (Earnest Money Deposit) जमा करानी होगी ।
4. सफल निविदादाता को कार्यादेश जारी होने के तिथि से सात दिवस के भीतर आदेश के कुल मूल्य की 10% राशि की कार्यनिष्पादन गारन्टी (Performance guarantee) फिक्स्ड डिपोसिट (मूल सार्टिफिकेट) अथवा स्वत: नवीनीकरण क्लॉज के साथ बैंक गारन्टी के रूप में जमा करानी होगी ।

5. जीएसटी पंजीयन का प्रमाण आवश्यक है तथा प्रमाण पत्र की प्रति जमा करानी होगी

5. आई एस ओ 9001 सर्टिफिकेशन वाले सेवाप्रदाता को प्राथमिकता दी जायेगी

6. निविदादाता दुकान एवं प्रतिष्ठान लाईसेन्स की स्व-सत्यापित प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी होगी।

7. ठेकेदार/ फर्म को सरकार / विभाग द्वारा डिफाल्टर / ब्लैक लिस्टेड / प्रतिबंधित नहीं बाबत स्व-सत्यापित प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा ।

परिशिष्ट – ई

निविदा अहर्ता मानदंड की नियम और शर्तें:-

1. वार्षिक अनुरक्षण संविदा/अवधि दिनांक 16.8.2022 से 31.3.2023 तक रहेगी।
2. वार्षिक अनुरक्षण संविदा (AMC) पर कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत निवारक के साथ-साथ ब्रेकडाऊन रखरखाव दोनों शामिल होंगे।
3. ठेकेदार/फर्म को सलाह रहेगी कि वह दरें उद्धरित करने से पूर्व साईट का निरीक्षण कर कार्यक्षेत्र से स्वयं को परिचित कराये।
4. फर्म की सेवायें सन्तोषजनक नहीं पाये जाने पर कार्यालय को किसी भी समय अनुबन्ध निरस्त करने का अधिकार होगा
5. सभी टूल्स एवं प्लांट्स (लैडर सहित) ठेकेदार/फर्म द्वारा स्वयं के खर्चे पर व्यवस्था करनी होगी।
6. ठेकेदार/ फर्म द्वारा निवारक उपकरण के साथ कार्मिक उपलब्ध करवाने होंगे तथा उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। कोई दुर्घटना किसी कारण से होने पर महालेखाकार कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।
7. सिस्टम की वार्षिक अनुरक्षण संविदा (AMC) के दौरान होने वाली क्षतिपूर्ति (नुकसान) को ठेकेदार/ फर्म द्वारा ठीक करवाया जावेगा।
8. निविदा की वैधता निविदा खुलने की दिनांक से 30 दिन रहेगी
9. वार्षिक अनुरक्षण संविदा (AMC) के दौरान सिस्टम के सुचारू संचालन के लिये आवश्यक सभी सामग्री/सफल निविदादाता द्वारा सप्लाई भी जावेगी।
10. ठेकेदार/ फर्म के प्राधिकृत प्रतिनिधि के अलावा अन्य व्यक्ति का कार्यालय एवं कालोनी में प्रवेश वर्जित रहेगा।
11. फर्म द्वारा रखरखाव रजिस्टर (maintenance ragister) रखना होगा जिसमें सी.सी.टी.वी. के संधारण के सम्बन्ध में इन्जिनीयर के निरीक्षण को प्रविष्टि इन्द्राज की जायेगी।
12. फर्म द्वारा भुगतान हेतु दिनांक 31.12.2022 तक के कार्य के लिये प्रथम किस्त के रूप में तथा दिनांक 31.03.2023 को शेष अवधि के कार्य की द्वितीय व अंतिम किस्त के रूप में बिल प्रस्तुत करना होगा।

13. फर्म का प्रतिनिधि सप्ताह में प्रत्येक कार्य दिवस पर कार्यालय में एवं ए.जी कालोनी उपस्थित होकर फाल्ट का समाधान करेगा । अवकाश के दिन कार्यालय से कॉल आने पर सेवाएं प्रदान करने होंगी

14. समयानुसार 48 घण्टे के अदंर शिकायतों का निवारण नहीं किये जाने की स्थिति में कार्यालय को बिल राशि में कम से कम 5 प्रतिशत राशि और अधिकतम 10 प्रतिशत राशि काटे जाने का अधिकार होगा ।

15. निविदादाता को सुरक्षा में चूक से बचाव हेतु पर्याप्त Standby कैमरा/ स्पेयर पार्ट्स / वायर/ केबल आदि उपलब्धता की स्थिति में सुनश्चित करना अनिवार्य होगा।

16. ठेकेदार/ फर्म को किसी सरकार / विभाग द्वारा डिफाल्टर / ब्लैक लिस्टेड / प्रतिबंधित नहीं किया गया होना चाहिये। इस बाबत स्व-सत्यापित प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

17. वार्षिक अनुरक्षण संविदा (AMC) के पूर्ण होने/समाप्त होने पर सीसीटीवी कैमरा एवं इसके सहायक उपकरणों का उचित लेखांकन किया जाना अनिवार्य होगा जिसके अभाव में कार्य निष्पादन गारन्टी प्रत्याहरित कर ली जावेगी

<u>भुगतान नियम एवं शर्ते</u>

1. ठेकेदार/ फर्म को भुगतान दिनांक 31.12.2022 तक के कार्य के लिये प्रथम किस्त के रूप में तथा दिनांक 31.3.2023 तक के कार्य के लिये कार्य की द्वितीय व अंतिम किश्त के रूप में प्रस्तुत बिल के आधार पर किया जायेगा। बिल पर जीएसटी नम्बर व पैन नम्बर अंकित होना चाहिये।
2. टीडीएस, सर्विस टैक्स तथा अन्य टैक्स की भुगतान से पूर्व लागू दरों के अनुसार कटौती की जायेगी । जीएसटी की नियमानुसार कटौती की जायेगी
3. प्रति आइटम उद्धरित (quoted) संधारण चार्जेज सभी करों सहित वार्षिक आधार पर होने चाहिये। दरों में मूल्य वृद्धि किसी भी अवस्था में अनुमत्य नहीं होगी।

परिशिष्ट – एफ

सामान्य निर्देश:-

ठेकेदार/ फर्म को निविदा आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेजो को संलग्न करना होगा:

1. सरकार/ किसी विभाग द्वारा डिफाल्टर / ब्लैक लिस्टिड / प्रतिबंधित नहीं किये जाने बाबत स्व-सत्यापित प्रमाण पत्र ।
2. EPF & ESIC पंजीयन प्रमाण पत्र । यदि लागू नही हो तो अयोग्ता को दर्शाते हुए वचनपत्र (undertaking) |
3. पैन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जीएसटी पंजीयन सर्टिफिकिट की प्रतियाँ
4. गत तीन वर्षों की आयकर विवरण की प्रतियां
5. दिनांक 31.3. 2022 को समाप्त पिछले पांच वर्षो के दौरान के निविदादाता द्वारा निष्पादित समान कार्य तथा कर रहे / किये गये कार्य के लिये संस्थानों से प्रमाण पत्र
6. प्रत्येक निविदा के साथ डिमाण्ड ड्राफ्ट/ बैंकर्स चैक जो PAO, IA&AD, Jaipur के पक्ष में निष्पादित हो, के रूप में राशि रु. 5000/- की धरोहर राशि (Earnest Money Deposit) संलग्न होनी चाहिये
7. सफल निविदादाता को कार्यादेश जारी होने के तिथि से सात दिवस के भीतर आदेश के कुल मूल्य की 10% राशि कार्यनिष्पादन गारन्टी (Performance guarantee) फिक्स्ड डिपोसिट (मूल सार्टिफिकेट) अथवा स्वत: नवीनीकरण क्लॉज के साथ बैंक गारन्टी के रूप में जमा करानी होगी।

03/08/22

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

जी.डी.।।